प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 05.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

- **पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के थानो की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'शक्ति दीदी' अभियान।**
- **महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए किया जागरुक।**

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलमंबन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 05.07.2025 को मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के थाना खन्ना की एण्टी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों/कस्बो, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों आदि के आस-पास मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाईन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरुक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाएँ (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरुक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 05.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

हर्ष फायरिंग करने वाले वांछित अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर थाना अजनर पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, कब्जे से हर्ष फायरिंग की घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस किये गये बरामद-

दिनांक- 03.07.2025 को थाना अजनर क्षेत्र के ग्राम बिजौरी में एक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना कारित की गयी, इस हर्ष फायरिंग में 02 लोगों के चोटिल होने की सूचना प्राप्त हुई, प्रकरण में घायलों को बेहतर उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के सम्बन्ध में दिनांक- 04.07.2025 को प्राप्त हुई तहरीर के आधार पर थाना अजनर में मु0अ0सं0 144/2025 धारा- 288/118(1) बी0एन0एस0 बनाम नामजद अभियुक्त अमित अहिरवार पुत्र महिपत अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरी थाना अजनर जनपद महोबा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त घटित घटना का संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी व घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचे की बरामदगी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर सत्यपाल सिंह द्वारा गठित की गयी टीम उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी, उ0नि0 ऋषी शुक्ला, उ0नि0 मालती साहू व का0 नरेन्द्र बाबू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रअन्तर्गत टिकरिया मार्ग प्राथमिक विद्यालय के पास ग्राम खोई जाने वाले मोड़ से अभियुक्त अमित अहिरवार पुत्र महिपत अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा देशी अवैध 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस अवैध 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस अवैध 315 बोर बरामद किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना अजनर में पंजीकृत मु0अ0सं0 144/2025 धारा 288/118(1) बी0एन0एस0 में धारा 3/25/1B/25(9) आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है, प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अमित अहिरवार पुत्र महिपत अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरी थाना अजनर जनपद महोबा

बरामदगी-

01 अदद तमंचा देशी अवैध 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस अवैध 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस अवैध 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी 2. उ0नि0 ऋषी शुक्ला
3. उ0नि0 मालती साहू 4. का0 नरेन्द्र बाबू

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 05.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 10 अदद पेटी देशी शराब के साथ घटना में प्रयुक्त 01 अदद चार पहिया (बोलेरो) वाहन बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गौड़ के कुशल नेतृत्व में अवैध शराब का निष्कर्षण/ परिवहन की रोकथाम व बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह द्वारा थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया

जिसमें उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह मय हमराह हे.का. बृजलाल व का0 मो0 कामिल द्वारा देखभाल क्षेत्र ,भ्रमण व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान 02 नफर अभियुक्त 1. निर्दोष राजपूत पुत्र दीनदयाल उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम धमना थाना राठ जनपद हमीरपुर 2. प्रदीप पुत्र राजाराम उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम धमना थाना राठ जनपद हमीरपुर को बफरेथा चौराहा थाना चरखारी जनपद महोबा से मय बोलेरो कार UP91C2578 से 10 अदद पेटी देशी शराब ठेका नाजायज ब्राण्ड झूम के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 134/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना में प्रयुक्त वाहन को एमवी एक्ट के तहत सीज की कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह
2. हे.का. बृजलाल
3. का0 मो0 कामिल थाना चरखारी

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. निर्दोष राजपूत पुत्र दीनदयाल उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम धमना थाना राठ हमीरपुर
2. प्रदीप पुत्र राजाराम उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम धमना थाना राठ जनपद हमीरपुर

बरामदगी-

- 10 अदद पेटी देशी शराब ठेका नाजायज ब्राण्ड झूम
- 01 अदद चार पहिया (बोलेरो) वाहन बरामद।